POLICE COMMISSIONERATE PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 16.09.2026

पुलिस मुठभेड़ में थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त सहित हत्या के अभियोग से सम्बंधित कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तंमचा .315 बोर, 01 कारतूस .315 बोर, 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना हण्डिया क्षेत्रान्तर्गत कस्बा हण्डिया स्थित पिलर नं0-52 के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा ग्राम मुगरांव निवासी पवन कुमार यादव को गोली मारकर घायल कर देने की सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची तथा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घायल पवन कुमार यादव उपरोक्त को ईलाज हेतु तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां ईलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के शव का नियमानुसार पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम कराया गया। मुकदमा वादी अशोक कुमार यादव पुत्र स्व0 कामता प्रसाद यादव निवासी मुंगराव थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना हण्डिया पर मु0अ0सं0- 487/2026 धारा-103(1) भा0न्या0सं0 बनाम मोटरसाइकिल सवार 03 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

पुलिस की कार्यवाही-

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना हण्डिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-487/2026 धारा-103(1) भा0न्या0सं0 से सम्बंधित 02 अभियुक्त 1. विनोद कुमार यादव पुत्र हरिहरनाथ प्रसाद निवासी मुगरांव थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज कमिश्नरेट प्रयागराज 2. बृजेश यादव पुत्र तेजबहादुर यादव निवासी बगहा थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज को मुखबिर की सूचना पर थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-16.09.2026 को समय करीब 13.15 बजे थाना हण्डिया क्षेत्रान्तर्गत सरायकस्तूरी बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त विनोद कुमार यादव उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर पवन कुमार यादव की हत्या करायी गयी है। उक्त घटना से सम्बंधित 02 अन्य अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ लल्ला यादव पुत्र राजबहादुर यादव निवासी मुगरांव थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज कमिश्नरेट प्रयागराज तथा निहाल अहमद पुत्र इकराम निवासी पुरानी बाजार थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही द्वारा उक्त घटना कारित की गयी है जो थाना हण्डिया क्षेत्रान्तर्गत औरा पुलिया से जसवा की तरफ नहर रोड़ स्थित बाग में मौजूद है जिस पर थाना हण्डिया पुलिस टीम गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताये गये उक्त स्थान पर पहुंची तो पुलिस को अपनी ओर आता देख 02 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से भागने लगे, जिस पर पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर अपने आप को घिरता देख अभियुक्तों द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग की गयी, तत्पश्चात पुलिस बल द्वारा अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग में मुठभेड़ के दौरान मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गये। पूछताछ पर घायलों ने अपना नाम 1. जितेन्द्र उर्फ लल्ला यादव पुत्र राजबहादुर यादव निवासी मुगरांव थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज 2. निहाल अहमद पुत्र इकराम निवासी पुरानी बाजार थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही बताया। अभियुक्त जितेन्द्र यादव उर्फ लल्ला के कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा अभियुक्त निहाल अहमद उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर व 01 कारतूस .315 बोर तथा घटना मे प्रयुक्त 01 काले रंग की

स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बरामद की गयी। घायल अभियुक्तो को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 109(1)/120(B) भा0न्या0सं0 व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त विनोद कुमार यादव व पवन कुमार यादव(मृतक) एक ही राजनैतिक दल के सदस्य है, जिनके बीच पंचायत चुनाव रंजिश को लेकर आपस में कशीदगी थी। अभियुक्त विनोद कुमार यादव ने जो प्रधानपति है अपनी पत्नी जो ग्राम प्रधान भी है को गांव में ही ECCE एजुकेटर के पद पर संविदा पर लगाया था जिसको पवन कुमार यादव द्वारा आपत्ति करके हटवा दिया था। इन्ही सब बातों को लेकर विनोद कुमार यादव मृतक पवन कुमार यादव से रंजिश रखता था। अभियुक्त जितेंद्र यादव उर्फ लल्ला की मृतक पवन कुमार यादव के साथ पूर्व में 2022 में हुए शशांक हत्याकांड में मुखबिरी करने का शक करता था तथा उसपर खुद को जेल भिजवाने को लेकर रंजिश मानता था, जिससे जितेन्द्र यादव उर्फ लल्ला पवन कुमार यादव से झुब्ध था और बदले की भावना से ग्रसित था। करीब 1.5 माह पूर्व अभियुक्त विनोद कुमार यादव व अभियुक्त जितेन्द्र यादव उर्फ लल्ला से मिला तथा 05 लाख रुपये में पवन कुमार यादव की हत्या करने की योजना बनाई ताकि दोनों का लाभ हो सके इस दौरान विनोद कुमार यादव द्वारा 25 हजार रूपये अभियुक्त जितेन्द्र यादव उर्फ लल्ला को दिये गए जिस से उसने घटना को अंजाम देने के लिए तमंचा व कारतूस खरीदा था। अभियुक्त जितेन्द्र यादव उर्फ लल्ला द्वारा घटना को अंजाम देने के लिए अपने साथी बृजेश यादव तथा निहाल अहमद से संपर्क किया गया। लल्ला यादव तथा निहाल पूर्व में ज्ञानपुर भदोही जेल मे मिले थे जहां से दोनों का परिचय था। जितेन्द्र यादव उर्फ लल्ला द्वारा अभियुक्त निहाल अहमद पुत्र इकराम निवासी पुरानी बाजार थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही को पवन कुमार यादव की हत्या की योजना के बारे में बताते हुए निहाल अहमद से बताया कि तुम गाड़ी चलाना, तथा वह खुद और बृजेश पवन कुमार यादव को गोली मारेंगे जिसके बदले में निहाल को पचास हजार रूपये विनोद से दिलवाने का लालच दिया। तभी से उक्त अभियुक्त लगातार मृतक

की रैकी कर रहे थे तथा मौके की तलाश में थे। दिनांक-14.09.2026 को अभियुक्त विनोद कुमार यादव, जितेन्द्र यादव उर्फ लल्ला व निहाल अहमद, तथा बृजेश गांव के बाहर मिले तथा अगले दिन घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया। निहाल अहमद ने अभियुक्त विनोद कुमार यादव को अपने फोन से रेकी के वीडियो कई वीडियो व्हाट्सएप्प के माध्यम से भेजे थे,जो उसके मोबाइल से मिले है। अभियुक्त विनोद यादव द्वारा कई बार अभियुक्त लल्ला यादव को निहाल अहमद के UPI के माध्यम से रूपये पेमेंट किया क्योंकि लल्ला यादव फोन का इस्तेमाल नहीं करता था, जिसके स्क्रीन शॉट अभियुक्त निहाल अहमद के फोन से मिले है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. विनोद कुमार यादव पुत्र हरिहरनाथ प्रसाद निवासी मुगरांव थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 40 वर्ष।
2. बृजेश यादव पुत्र तेजबहादुर यादव निवासी बगहा थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 28 वर्ष।
3. जितेन्द्र उर्फ लल्ला यादव पुत्र राजबहादुर यादव निवासी मुगरांव थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 40 वर्ष।
4. निहाल अहमद पुत्र इकराम निवासी पुरानी बाजार थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही, उम्र करीब 26 वर्ष।

सम्बंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-487/2026 धारा-103(1) भा0न्या0सं0 व बढ़ोत्तरी धारा- 109(1)/120(B) भा0न्या0सं0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ लल्ला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-385/2007 धारा-394/411 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0-387/2007 धारा- 393/392/411 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. मु0अ0सं0-400/2007 धारा-393 / 323 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

4. मु0अ0सं0-49/2008 धारा-2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. मु0अ0सं0-449/2010 धारा-392/504/506 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. मु0अ0सं0-14/2010 धारा-393 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
7. मु0अ0सं0-450/2010 धारा- 25 आर्म्स एक्ट थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
8. मु0अ0सं0-427/11 धारा- 457/380/411 भा0द0सं0 थाना सैनी जनपद कौशाम्बी।
9. मु0अ0सं0-155/2011 धारा- 3/2 गैगेस्टर एक्ट थाना सैनी जनपद कौशाम्बी।
10. मु0अ0सं0-46/2012 धारा-379/411 भा0द0सं0 थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी।
11. मु0अ0सं0-52/2012 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी।
12. मु0अ0सं0-53/12 धारा 20/22 NDPS ACT थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी।
13. मु0अ0सं0-46/2012 धारा- 392/504/506 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
14. मु0अ0सं0-324/2012 धारा- 392/411 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
15. मु0अ0सं0-334/2012 धारा-307/394/427/411 / 511 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
16. मु0अ0सं0-336/2012 धारा 30A ACT थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
17. मु0अ0सं0-366/2012 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
18. मु0अ0सं0-436/2012 धारा-394/511/427/307/395 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
19. मु0अ0सं0-466/2012 धारा-2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
20. मु0अ0सं0-371/2013 धारा- 394/302/120B भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
21. मु0अ0सं0-453/2013 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
22. मु0अ0सं0-552/2013 धारा- 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
23. मु0अ0सं0-04/2015 धारा- 394/411 भा0द0सं0 थाना शिवकुटी जनपद प्रयागराज।
24. मु0अ0सं0-274/2016 धारा-308/323/324/504/506 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
25. मु0अ0सं0-172/2017 धारा-394/504/506 भा0द0सं0 थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

26. मु0अ0सं0-400/2017 धारा- 386/307 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
27. मु0अ0सं0-452/2017 धारा- 392/506 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
28. मु0अ0सं0-366/2019 धारा-379/411 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
29. मु0अ0सं0-461/2019 धारा- 307/394 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
30. मु0अ0सं0-464/2019 धारा-307/394/504/506 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
31. मु0अ0सं0-467/2019 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
32. मु0अ0सं0-468/2019 धारा-411/413/419/420 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
33. मु0अ0सं0-582/2019 धारा-41/411/414 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
34. मु0अ0सं0-443/2020 धारा-392/411 भा0द0सं0 थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
35. मु0अ0सं0-463/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
36. मु0अ0सं0-464/2020 धारा-4/5 Exp(S) Act थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
37. मु0अ0सं0-466/2020 धारा- 41/411 भा0द0सं0 थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
38. मु0अ0सं0-745/2020 धारा 392 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
39. मु0अ0सं0-129/2021 धारा-393/307 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
40. मु0अ0सं0-708/22 धारा-2/3 गैगस्टर एक्ट हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
41. मु0अ0सं0-134/24 धारा- 305(a)/317(2)/317 (4) / 331 (4) / 61 (2) भा0न्या0सं0 थाना कैण्ट कमिश्नरेट प्रयागराज।
42. मु0अ0सं0-156/24 धारा- 25 आर्म्स एक्ट 317 (2)/317(4)/331(4)/61(2)भा0न्या0 सं0 थाना कैण्ट कमिश्नरेट प्रयागराज।
43. मु0अ0सं0-210/24 धारा-380/411/457 भा0द0सं0 थाना घूमनगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
44. मु0अ0सं0-507/25 धारा- 317 (2)/317(4) भा0न्या0सं0 थाना भदोही जनपद भदोही।

अभियुक्त निहाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-197/2025 धारा-305(ए)/317(2)/331(4) भा0न्या0सं0 थाना सिगरा जनपद

वाराणसी।

2. मु0अ0सं0-327/2025 धारा-303(2)/317(2)/317(4) भा0न्या0सं0 थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही।
3. मु0अ0सं0-51/2026 धारा-305(ए)/317(2)/317(4)/331(4) भा0न्या0सं0 थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही।

अभियुक्त बृजेश कुमार यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-133/2020 धारा-354/394/411 भा0द0सं0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0-136/2020 धारा-436 भा0द0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

* 01 अवैध तमंचा .315 बोर, व 01 खोखा कारतूस .315 बोर (अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ लल्ला यादव उपरोक्त के कब्जे से)।
* 01 अवैध तमंचा .315 बोर, 01 कारतूस .315 बोर (अभियुक्त निहाल अहमद उपरोक्त के कब्जे से)।
* घटना मे प्रयुक्त एक स्पलेण्डर मोटरसाइकिल।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुखचैन तिवारी, प्रभारी सर्विलांस सेल गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. व0उ0नि0 मनोज कुमार सिंह, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 रामायण सिंह, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. उ0नि0 राधेश्याम गुप्ता, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. उ0नि0 योगेश प्रताप सिंह, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. म0उ0नि0 आराधना सिंह, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
7. उ0नि0 गौरव तिवारी, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

8. उ0नि0 विनय सिंह राठौर, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
9. उ0नि0 अमलेश गुप्ता, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
10. उ0नि0 मुलायम यादव, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
11. उ0नि0 संजय मौर्या, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
12. उ0नि0 सर्वेश कुमार, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
13. म0उ0नि0 शुभी वर्मा, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
14. हे0का0 अंगद गिरि, सर्विलांस सेल गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज।
15. हे0का0 सुब्बा राजभर, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
16. हे0का0 संजय यादव, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
17. का0 दिनेश चौहान, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
18. का0 संतोष यादव, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
19. का0 अभिषेक गौतम, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
20. का0 हरिओम सिंह, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
21. रि0का0 भगवान यादव, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
22. रि0का0 राजकिशोर, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
23. रि0का0 मुकेश गौड़, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
24. रि0का0 अंकित कुमार, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना नवाबगंज प्रयागराज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 595/22 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त मो0 नजमें आलम उर्फ नब्बे उर्फ नईम पुत्र मो0 मुस्लिम निवासी ग्राम मुबारकपुर थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा अपनी अराजी नं0 243 पर बना राजधानी होटल को गैंगेस्टर एक्ट की कुर्की से बचाने के लिए अपने भाई मो0

इस्माइल को पावर आफ एटार्नी दिया गया तथा अभियुक्त मो0 इस्माइल द्वारा मो0 सकलैन व सकलैन की बहन इरमबानो के साथ मिलकर षडयंत्र से रवि चौरसिया पुत्र अरविन्द चौरसिया निवासी सी-123 शान्तिपुरम थाना फाफामऊ प्रयागराज के खाते में पैसा डालकर राजधानी होटल का बैनामा पावर आफ एटार्नी के माध्यम से रवि कुमार चौरसिया को रजिस्ट्री कर दिया गया। रजिस्ट्री के 13 दिन बाद पुनः रवि कुमार चौरसिया से इरम बानो पत्नी अबू सालिम के नाम इकरारनामा कराया गया। इकरारनामा में अंकित आरटीजीएस कूटरचित एवं फर्जी पाये गये तथा जिन चेकों से भुगतान की बात की गयी है उन चेकों से भुगतान नहीं हुआ। प्रकरण में कुर्की की कार्यवाही से बचने के लिए धोखाधडी व कूटरचना करने के सम्बंध में मुकदमा वादी सतीश कुमार प्रभारी निरीक्षक होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा थाना सोरांव पर मु0अ0सं0-357/26 धारा-319(2)/318(4)/338/ 336(3)/340(2)/61(2)क भा0न्या0सं0 बनाम 1. नजमे आलम उर्फ नब्बे उर्फ नईम पुत्र स्व0 मो0 मुस्लिम निवासी ग्राम मुबारकपुर थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज 2. इरम बानो पत्नी अबू सालिम निवासी ग्राम रूदापुर मलाक हरहर थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज 3. मो0 इस्माइल पुत्र स्व0 मो0 मुस्लिम निवासी ग्राम मुबारकपुर थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज 4. रवि चौरसिया पुत्र अरविन्द कुमार चौरसिया निवासी 123सी शान्तिपुरम फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।

पुलिस की कार्यवाही-

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त सोरांव के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सोरांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-357/26 धारा-319(2)/318(4)/338/ 336(3)/340(2)/61(2)क भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रवि चौरसिया पुत्र अरविन्द चौरसिया निवासी सी-123 शान्तिपुरम थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज व मूल पता ग्राम सहजीपुर थाना थरवई कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा दिनांक-16.09.2026 को थाना सोरांव क्षेत्रान्तर्गत लखनीपुर जाने वाली रोड तिराहे के पास गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रवि चौरसिया पुत्र अरविन्द चौरसिया निवासी सी-123 शान्तिपुरम थाना फाफामऊ प्रयागराज मूल पता ग्राम सहजीपुर थाना थरवई कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 29 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-357/26 धारा-319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) भा0न्या0सं0 व बढ़ोत्तरी धारा-61(2)क भा0न्या0सं0 थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 दीन दयाल सिंह, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. का0 प्रकाश सिंह, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. रि0का0 शिवम उपाध्याय, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।